न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह (आई.ए.एस.)

म्यूटेशन अपील सं0 08/2017

अपीलांट्सः–

1. श्रीमती शांता गुप्ता धर्मपत्नी स्व0 श्री ओमप्रकाश गुप्ता, जाति महेश्वरी उम्र 74 वर्ष निवासी 13–सी, पंचवटी कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर तहसील जोधपुर, जिला जोधपुर (राज0)

बनाम रेस्पोण्डेंट्सः–

1. वैभव गुप्ता पुत्र स्व0 श्री प्रवीण गुप्ता जाति महेश्वरी, निवासी पंचवटी कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर तहसील जोधपुर जिला जोधपुर (राज0) हाल निवासीः– Manyata Embassy Business Park, 8 Floor, G 2, Outer Ring Road, Rachenahalli And Nagawara Villages, Bengaluru, Karnataka 560045
2. तहसीलदार, पाली, जिला पाली (राज0)

उपस्थितिः–

1. श्री हरजीराम, विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स

म्यूटेशन अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 खिलाफ म्युटेशन संख्या 735 जो दिनांक 05–05–2017 को सरपंच, ग्राम पंचायत साकदड़ा ने स्वीकृत किया को निरस्त करने बाबत्।

–:आदेशः– दिनांक 21.01.2019

1. अपीलांट ने यह अपील रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम साकदड़ा के खसरा नंबर 33/3 रकबा 21 बीघा में अपीलांट के पुत्र प्रवीण गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता कौम महेश्वरी साकिन पंचवटी कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर का 99/420वां हिस्सा की खातेदारी भूमि है। अपीलांट एवं प्रवीण गुप्ता के बीच माता एवं बेटा का रिश्ता है, रेस्पोडेंट संख्या 01 अपीलांट का पौत्र है। अपीलांट के पुत्र प्रवीण गुप्ता की मृत्यु दिनांक 10–04–2014 को हो चुकी है, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। अपीलांट के पुत्र की मृत्यु के पश्चात् फौतेदगी नामान्तरकरण अपीलांट एवं उसके एक मात्र पौत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वैभव के नाम भरने हेतु रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, तहसीलदार साहब पाली एवं पटवारी हल्का साकदड़ा को दिनांक 11–07–2017 को भेजा गया। प्रार्थना पत्र पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं हुई एवं न ही कोई प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ। इस संबन्ध में कार्यवाही की जानकारी हेतु अपीलांट तहसीलदार कार्यालय पाली में दिनांक 18–08–2017 को संपर्क करने पर जानकारी हुई कि ग्राम साकदड़ा के खसरा नंबर 33/3 का फौतेदगी म्यूटेशन अपीलांट के पौत्र अकेले रेस्पोडेंट संख्या 01 वैभव गुप्ता के नाम दिनांक 05–05–2017 को स्वीकृत हो चुका है। उसी दिनांक 18–08–2017 को नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 18–08–2017 को नकल प्राप्त की गई। नकल प्राप्त करने के पश्चात् अपीलांट को कानूनी संबन्धी जानकारी नहीं होने से अधिवक्ता से समय पर संपर्क नहीं कर पाई। जिससे व्यथित होकर अपील म्यूटेशन पेश है। अपील के आधार में निवेदन किया कि अपीलाधीन म्यूटेशन संख्या 735 दिनांक 05–05–2017 विधि एवं तथ्यों के विरूद्ध स्वीकृत किया है जो निरस्त योग्य है।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

अपीलाधीन म्यूटेशन तहसीलदार, जोधपुर के पत्रांक/भू.अ./2017/1851 दिनांक 19–04–2017 जो मूल ही तहसीलदार, पाली द्वारा पत्रांक/भू.अ./2194 दिनांक 27–04–2017 को पटवारी हल्का साकदड़ा को भेजा गया, जिसके आधार पर पटवारी ने म्यूटेशन भरा एवं दिनांक 05–05–2017 को सरपंच, ग्राम पंचायत साकदड़ा द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसका नोट कॉलम संख्या 15–16 में अंकित है। स्व0 प्रवीण गुप्ता की प्रथम पत्नि श्रीमति वर्षा गुप्ता थी, जिन्होने न्यायालय में विधिवत तलाक ले लिया है, उसके मात्र एक पुत्र वैभव गुप्ता है। स्व0 श्री प्रवीण गुप्ता की दूसरी पत्नि स्व0 श्रीमति संगीता गुप्ता थी, जिनकी दिनांक 10–04–2014 को दुर्घटना में पति–पत्नि दोनों की मृत्यु हो चुकी है, स्व0 संगीता लाऔलाद फौत हुई है। वर्तमान में स्व0 प्रवीण गुप्ता के विधि वारिसान के रूप में एक मात्र पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वैभव एवं अपीलांट माता है। यह म्यूटैशन बिना जांच, बिना सुनवाई के विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया है, जो निरस्त योग्य है। अपीलाधीन म्यूटैशन स्वीकृत करने से पूर्व प्रवीण गुप्ता के विधिक वारिसान की जांच कर उनको नोटिस जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत करना चाहिए था, अपीलाधीन म्यूटेशन मात्र तहसीलदार (भू.अ.) जोधपुर की रिपोर्ट पर विधि विरूद्ध भरा गया है, जो निरस्त योग्य है। हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 08 के अनुसार अपीलांट प्रवीण गुप्ता की विधिक माता होने से प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। माता विधिक उत्तराधिकारी है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 08 के अनुसार अपीलांट का हक अधिकार है, जिसे किसी भी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता। अपीलांट को बिना नोटिस, बिना सुनवाई, बिना विधिक उतराधिकारी की जांच किये अपीलाधीन म्यूटेशन अकेले अपीलांट के पौत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है, जो प्रारंभ से शुन्य है। ऐसे आदेशों को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। ऐसे प्रकरणों में मयाद अधिनियम की धारा 05 बाधित नहीं है। अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट अपने बेटे प्रवीण गुप्ता की सम्पत्ति में अपना अधिकार, हक कानूनन रखती है। म्यूटेशन एक फिसकल प्रकिया है, जिससे अपीलांट के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा सकता है। म्यूटेशन की नकल हेतु दिनांक 18–08–2017 को जानकारी प्राप्त होते ही उसी रोज नकलें प्राप्त की। अपीलाधीन आदेश प्रारंभ से शून्य है, फिर भी धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश है। अपीलांट को अपील करने के संबन्ध में कानूनी जानकारी नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने में कुछ विलम्ब हुआ, जो सद्भाविक था, विलम्ब को क्षमा कराते हुए अपील को अंदर म्याद शुमार फरमाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावें तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 का नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

2. अपील को Subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अदालत मातेहत का मूल रेकर्ड तलब किया गया। रेस्पोंडेंट संख्या 01 बावजूद सम्मन तामील होने के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ।

3. बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट की सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में वर्णित तथ्यों को दर्शाते हुए निवेदन किया कि ग्राम साकदड़ा के खसरा नंबर 33/3 रकबा 21 बीघा में अपीलांट के पुत्र प्रवीण गुप्ता पुत्र श्री ओमप्रकाश गुप्ता कौम महेश्वरी साकिन पंचवटी

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर का 99/420वां हिस्सा की खातेदारी भूमि है। अपीलांट एवं प्रवीण गुप्ता के बीच माता एवं बेटा का रिश्ता है, रेस्पोडेंट संख्या 01 अपीलांट का पौत्र है। अपीलांट के पुत्र प्रवीण गुप्ता की मृत्यु दिनांक 10–04–2014 को हो चुकी है, मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति अपील के संलग्न प्रस्तुत की है। ग्राम साकदड़ा के खसरा नंबर 33/3 का फौतेदगी म्यूटेशन अपीलांट के पौत्र अकेले रेस्पोडेंट संख्या 01 वैभव गुप्ता के नाम म्यूटेशन संख्या 735 दिनांक 05–05–2017 को स्वीकृत हो चुका है। अपीलाधीन म्यूटेशन तहसीलदार, जोधपुर के पत्रांक/भू.अ./2017/1851 दिनांक 19–04–2017 जो मूल ही तहसीलदार, पाली द्वारा पत्रांक/भू.अ./2194 दिनांक 27–04–2017 को पटवारी हल्का साकदड़ा को भेजा गया, जिसके आधार पर पटवारी ने म्यूटेशन भरा एवं दिनांक 05–05–2017 को सरपंच, ग्राम पंचायत साकदड़ा द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसका नोट कॉलम संख्या 15–16 में अंकित है। स्व0 प्रवीण गुप्ता की प्रथम पत्नि श्रीमति वर्षा गुप्ता थी, जिन्होने न्यायालय में विधिवत तलाक ले लिया है, उसके मात्र एक पुत्र वैभव गुप्ता है। स्व0 श्री प्रवीण गुप्ता की दूसरी पत्नि स्व0 श्रीमति संगीता गुप्ता थी, जिनकी दिनांक 10–04–2014 को दुर्घटना में पति–पत्नि दोनों की मृत्यु हो चुकी है, स्व0 संगीता लाऔलाद फौत हुई है। वर्तमान में स्व0 प्रवीण गुप्ता के विधि वारिसान के रूप में एक मात्र पुत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 वैभव एवं अपीलांट माता है। यह म्यूटैशन बिना जांच, बिना सुनवाई के विधि विरूद्ध स्वीकृत किया गया है, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 08 के अनुसार अपीलांट प्रवीण गुप्ता की विधिक माता होने से प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। माता विधिक उत्तराधिकारी है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 08 के अनुसार अपीलांट का हक अधिकार है, जिसे किसी भी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता। अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अपीलांट अपने बेटे प्रवीण गुप्ता की सम्पत्ति में अपना अधिकार, हक कानूनन रखती है। म्यूटेशन एक फिसकल प्रकिया है, जिससे अपीलांट के अधिकारों को वंचित नहीं किया जा सकता है। अपीलांट को अपील करने के संबन्ध में कानूनी जानकारी नहीं होने से अपील प्रस्तुत करने में कुछ विलम्ब हुआ, जो सद्भाविक था, विलम्ब को क्षमा कराते हुए अपील को अंदर म्याद शुमार फरमाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमावें तथा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 01 का नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

4. बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये तहसीलदार (भू0अ0), जोधपुर के पत्रांक/भू0अ0/2017/1851 दिनांक 19–04–17 जो तहसीलदार (भू0अ0), पाली के पत्रांक/भू0अ0/17/1770 दिनांक 03–03–17 का प्रत्युत्तर है जिसमें स्व0 प्रवीण गुप्ता की माता अपीलांट के संबन्ध में कोई रिपोर्ट नहीं है। नामां0 संख्या 735 का अवलोकन किया गया जो तहसीलदार, पाली के आदेश कमांक/भू.अ./2194 दिनांक 27–04–2017 की पालना में तहसीलदार (भू0अ0) जोधपुर द्वारा भेजी गई कायम मुकाम की सूचना के आधार पर दायर किया गया तथा चंद्र कंवर, सरपंच, ग्राम पंचायत, साकदड़ा द्वारा दिनांक 05–05–2017 को स्वीकृत किया गया है। तहसीलदार, पाली के आदेश की पालना में भरे गये म्यूटेशन के कॉलम संख्या 7 में समस्त खातेदारों का इंद्राज नहीं किया गया है तथा कॉलम संख्या 9 में रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम का

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

इंद्राज किया गया है। ग्राम पंचायत, साकदड़ा की बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन किया गया जिसमें पृष्ठ संख्या 16 पर नामां0 संख्या 735 को स्वीकृति का निर्णय तहसीलदार, जोधपुर द्वारा प्रेषित का0मु0 की सूचना के आधार पर लिया गया है। सरपंच, ग्राम पंचायत, साकदड़ा द्वारा स्व0 प्रवीण गुप्ता के समस्त जीवित वारिसान की जांच कर नामांतरकरण नहीं भरा गया है। अपीलांट स्व0 प्रवीण गुप्ता की माता होने से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 08 के अनुसार अपीलांट प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। माता विधिक उत्तराधिकारी है, हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 08 के अनुसार अपीलांट का हक अधिकार है, जिसे किसी भी परिस्थिति में वंचित नहीं किया जा सकता। अपीलांट को बिना नोटिस, बिना सुनवाई, बिना विधिक उतराधिकारी की जांच किये अपीलाधीन म्यूटेशन अकेले अपीलांट के पौत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है, जो प्रारंभ से शुन्य है। ऐसे आदेशों को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में सरपंच, ग्राम पंचायत, साकदड़ा द्वारा नामां0 संख्या 735 पर दिनांक 05–05–2017 को पारित आदेश को विधिवत् पारित आदेश नहीं कहा जा सकता तथा ऐसे आदेश को यथावत् रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75 आर.एल.आर. एक्ट, 1956 को स्वीकार किया जाकर सरहद मौजा साकदड़ा के नामान्तरणकरण संख्या 735 पर पारित आदेश दिनांक 05–05–2017 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार, पाली को स्व0 श्री प्रवीण गुप्ता के वैधिक वारिसान की जांच करने के पश्चात् विधिवत् आदेश पारित करने हेतु प्रकरण को रिमाण्ड किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रेकर्ड इस आदेश की प्रति सहित तहरीर के साथ लौटाया जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पाली

यह आदेश आज दिनांक 21.01.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner